न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 10/2022 GCMS No:- 2022/182

सरकार जरिये विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्ष) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री सुबुद्वि प्रकाश (शेफ एवं खाद्य कारोबारकर्ता)
   मैसर्सः– लक्ष्मी पैलेस, ग्राम जटवाडा, तहसील बस्सी, जयपुर।
2. श्री दौलतराम खत्री, पार्टनर
   मैसर्सः– लक्ष्मी पैलेस, ग्राम जटवाडा, तहसील बस्सी, जयपुर।
3. मैसर्सः– लक्ष्मी पैलेस, ग्राम जटवाडा, तहसील बस्सी, जयपुर।

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 20/07/2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.06.2022 को दोपहर 01.30 पी.एम. पर मैसर्स लक्ष्मी पैलेस, ग्राम जटवाडा, तहसील बस्सी, पर पहुंचा। मौके पर उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं का नाम श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री सुबुद्वि प्रकाश एवं स्वयं को उक्त फर्म का शेफ एवं खाद्य कारोबारकर्ता होना बताया। मौके पर फर्म के खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति, जीएसटी सर्टिफिकेट 06 मय एनैक्सर ए एवं बी की छायाप्रति स्वयं एवं गवाह के पहचान पत्र की छायाप्रतियां प्राप्त की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर संस्थान में आम जनता को विक्रय हेतु परोसे जाने वाले prepared Food (नॉन, चाईनीज, पिज्जा, कुलछा आदि) तैयार करने में As a Ingredient मैदा काम में लिया जा रहा था, जिसके अमानक का शक होने पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री बलवीर सिंह को सूचित करते गवाहान की उपस्थिति में एक साफ सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में 2 किलोग्राम मैदा वास्ते नमूना जांच खरीदा। जिसकी कीमत खाद्य कारोबारकर्ता श्री बलवीर सिंह को 100/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकरोबारकर्ता श्री बलवीर सिंह के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। माल खरीद मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे खाद्य करोबारकर्ता तथा गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 एक की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मैदा को एकरूप कर चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक के जार विक्रेता एवं गवाहान को

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

दिखाकर उक्त खरीदशुदा मैदा को प्रत्येक जार में बराबर–बराबर डाला एवं प्रत्येक जार पर लेबल लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया। लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं कमांक AN-2458 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर AN-2458 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के पत्र कमांक 543 दिनांक 23.06.2022 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/2045/एक्ट/2022/2067 दिनांक 16.06.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मैदा सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सबस्टेण्डर्ड मैदा का विक्रय/निर्माण करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंधन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी/अभियुक्त को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी बलवीर सिंह स्वयं उपस्थित आये।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ मैदा का विक्रय करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य

10/22

संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी बलवीर सिंह ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। संस्थान में पनीर, मेदा, मसालों की सप्लाई जयपुर से आती है जिसके संबंध में खाद्य पदार्थो के बिलो की छायाप्रति जवाब के साथ संलग्न है। वर्तमान में होटल संस्थान द्वारा मैदा के बैग ही काम में लिये जाते हैं एवं मैदा का सैम्पल डबल तलवार ब्राण्ड का था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 52 में प्रथम बार खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड/सबस्टैण्डर्ड आने पर आने पर शास्ति माफ करने का प्रावधान है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध शास्ति माफ करने की कृपा करें एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी–अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मैदा का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ के अन्य संस्थानो से क्रय किये जाने के बिल पेश किये है किन्तु अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारीयों के समक्ष दौराने निरीक्षण बिल प्रस्तुत करने चाहिए थे एवं साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारीयों को भी खाद्य पदार्थों के बिलों के संबंध में जांच की जानी चाहिए थी। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खाद्य पदार्थो के बिल के आधार पर जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा अपने स्तर पर खाद्य पदार्थ का उत्पादन नहीं किया किन्तु सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर अप्रार्थी द्वारा सुरक्षा संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निहित प्रावधानो का उल्लंघन किया है। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी–अभियुक्त पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थी–अभियुक्त जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
न्यायिक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर